55

न्यायालय अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1608

प्र.क्र.   /18 निग.

डॉ. सतीश पाठक आयु 65 वर्ष पुत्र श्री शेषराव पाठक जाति ब्राह्मण निवासी बरेठ रोड, गंज बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

......प्रार्थी

बनाम

बलबंतसिंह आयु 65 वर्ष पुत्र श्री जवाहरसिंह राजपूत निवासी ग्राम जोहद तह. नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.)

......प्रतिप्रार्थी

श्री आर.एस. सेंगर अधि. उप. आज दिनांक 7/3/18 को प्रस्तुत
CF 20/3/18
7/3/18

आर.एस. सेंगर ग्वालियर 7/3/18

रिवीजन अंतर्गत धारा 45 भू.रा.सं. विरूद्ध आदेश दिनांक 27.2.2018 न्यायालय श्रीमान् एस.डी. ओ. महोदय, नटेरन, प्र. क्र. 50/अपील/16-17

माननीय महोदय,

रिवीजन प्रार्थी निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रति प्रार्थी द्वारा इस आशय की अपील प्रस्तुत की अपीलाण्ट ग्राम जोहद तहसील नटेरन के भूमि क्रमांक 188 रकवा 2.843 हे., 259/1 रकवा 0.026 हे., 274/1 रकवा 0.141 हे. का भूमि स्वामी दर्ज रिकार्ड व आधिपत्यधारी है।

2. यह कि अपीलाण्ट को अपने पुत्र रंधीरसिंह के द्वारा किये गये अनावश्यक कर्ज को उतारने के लिये रूपयों की आवश्यकता थी।

3. यह कि रिस्पोडेण्ट प्रतिष्ठित डॉक्टर है तथा उनके द्वारा नोट बंदी के दौरान पैसे खपाने थे अपीलाण्ट ने रिस्पोण्डेंट से 13,00,000/- तेरह लाख रूपये उधार लिये थे तथा आपसी गवाहों के समक्ष यह अनुबंध किया था कि रिस्पोण्डेंट नामांतरण नहीं करायेगा, और एक वर्ष के भीतर आपका रूपया ब्याज सहित लौटा देगा।

4. यह कि आवेदक अप्रैल माह 2017 में जब रूपये लौटाने गया तो कोई रिस्पांस नहीं दिया और चोरी छिपे अपना नामांतरण ग्राम पटवारी से मिलकर पंजी में दर्ज कर दिया और झूठी रिपोर्ट डालकर की कोई आपत्ति नहीं है, नामांतरण प्रमाणित नायब तहसीलदार ने बिना पकरण पंजीबद्ध के कर दिया, इसी से परिवेदित होकर यह अपील माननीय न्यायालय में

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी विदिशा/भू0रा9/2018/1608

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-3-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ताके तर्कों पर विचार िकया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण अपीलीय न्यायालय द्वारा अवधि विधान के अंतर्गत विलंब क्षमा करने के आवेदन को स्वीकार करने के विरूद्ध है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उभयपक्षों को सुननेके पश्चात अपनेविवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करतेहुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर उनके आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार मैं नहीं पाता हूँ । परिणामस्वरूप यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशा0 सदस्य	